माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री विजेन्द्र जैन जी द्वारा बुडलाडा में **12.8.2007** को आयोजित 'कन्या भ्रूण हत्या' और 'नशा उन्मूलन' के विषय पर आयोजित कानूनी साक्षरता सेमिनार (संगोष्ठी) के अवसर पर सम्बोधन

Executive Chairman, Punjab State Legal Services Authority Justice Sathasivam, other Hon'ble Judges of Punjab and Haryana High Court, Mrs. Paramjit Kaur Gulshan, Member of Parliament, DIG Range the Deputy Commissioner, President of the Bar Association, NGOs, students, Mansa और Budhlada में आए हुए हमारे पंच साहिबान, प्रैस कोर के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारीगण और पुलिस अधिकारीगण,

सुबह से आपने यहां पर मुझसे पूर्व वक्ताओं के विचार सुने। बुडलाडा में आने में मुझे तीन महीने की देर हुई। सबसे पहले 19 मई को प्रोग्राम बना था कि मैं आपके बीच में बुडलाडा में आऊंगा पर किसी कारणवश वो बुडलाडा का कार्यक्रम बदलता गया। मुझे बड़ी खुशी है जो जागरूकता, जो संवेदनशीलता यहां के Member of Parliament ने, यहां के पुलिस अधिकारीगणों और जो जिला Deputy Commissioner हैं अपने भाषण में कही मुझमें कोई इसमें दो राय नहीं है कि जो काम करने का बीड़ा भ्रूण हत्या के खिलाफ जो आवाज उठाई है उसका फल अवश्य मिलेगा। बहुत सैंकड़ों साल का mindset है और वो mindset है कि समाज के अन्दर बेटा ही सब कुछ कर सकता है, उसको बदलना इतना आसान नहीं

है। मैं उन सारे कारणों में नहीं जाना चाहता जिसका खुलासा, जिसका जिक्र यहां की संसद सदस्या महोदय ने किया है। पर अपने को हार भी नहीं माननी है क्योंकि

नई दुनिया बनाने को,
नए अनसर नहीं आते।
यहीं मट्टी संवरती है,
यहीं ज़ररे उभरते हैं।

जब मैं यहां पर पंजाब और हरियाणा का चीफ जस्टिस बनकर आया तो एक सवाल मन के अन्दर उठता था कि पंजाब हमारे हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के अन्दर नम्बर एक का State, हमारे economic, आर्थिक लड़ाई के अन्दर भी नम्बर एक का State और भ्रूण हत्या के मामले के अन्दर भी नम्बर एक का State क्यों है। मुझे उस सोच के ऊपर तरस आता है और मैं आप लोगों से बिल्कुल agree करता हूँ, सहमति प्रकट करता हूँ कि कानून के दायरे के अन्दर भ्रूण हत्या के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। चीफ जस्टिस होकर के मैं आपका ये वाली बात बोल रहा हूँ। क्योंकि कानून की आंख के ऊपर पट्टी बंधी होती है और अभी आपने देखा बच्चों ने यहां पर skit किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है हम ultrasound यहां पर sex–determination के लिए नहीं कर सकते। पैसे का लालच आया डॉक्टर साहब ने sex-determination कर दिया। जो

मशीन ultrasound की जिस scientist ने इजात की थी, वो अपनी कब्र में पड़ करके रो रहा होगा। ultrasound की मशीन इसलिए इजात हुई थी कि गर्भ के अन्दर शिशु की अवस्था क्या है, उसके हाथ-पैर हैं भी के नहीं, उसके अन्दर नाक है या नहीं, उसकी ध्वनि ठीक चल रही है या नहीं, ऑक्सीजन ठीक मिल रही है या नहीं। ये कभी नहीं सोचा था कि हिन्दुस्तान में आकर के उस मशीन को sex-determination के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। सारे पंजाब और हरियाणा के अन्दर सिर्फ 50, 60, 70, 100 मुकदमें FIR lodge हुईं। उससे हम अपने बच्चे को और बच्ची को बचा तो नहीं पाये। क्या वो sufficient हैं। यहां बताया कि 10% बच्ची जो गर्भ के अन्दर है उसको मार दिया जाता है। कभी किसी ने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की। क्यों लड़की गर्भ के अन्दर बोलती है हे मां, तू मुझको चॉकलेट मत देना, मैं बड़ी होउंगी, मेरे लिए गहने भी मत बनवाना, मैं बड़ी होकर आपसे खिलौने भी नहीं मागूंगी और उसको गर्भ के अन्दर ही मार दिया जाये, उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके नन्हीं-नन्हीं उंगलियों के नाली के अन्दर बहा दिया जाये, ये हमारी पंजाब की बड़ी वीरता है, शूरवीरता है। अगर वही बच्ची केरल के अन्दर जन्म लेती है तो लोग बड़ा हर्षोउल्लास मनाते हैं और यहां पर लड़की पैदा होती है तो उसको पत्थर कहा जाता है। शर्म आनी चाहिये, ये ऐसा कलंक है हमारे माथे के ऊपर। कभी सोचा कि अगर लड़की नहीं होती तो गुरू नानक देव कहां से आते। अगर लड़की नहीं होती तो गुरू गोबिंद

सिंह जी कहां से आते। सारे सम्पूर्ण मानवता के इतिहास के अन्दर इतने बड़े लोग भी हुए चाहे महात्मा बुद्ध हुए, महावीर हुए, वो तमाम अपनी मां के पेट से जन्मे थे। वो कोई वृक्ष के ऊपर से तो उग नहीं आये थे। जो जननी एक शक्ति का स्त्रोत है, वात्स्ल्य का स्त्रोत है, compassion का स्त्रोत है, उसको हम गर्भ के अंदर, कोख के अंदर मार देते हैं तो इससे बड़ा अन्याय इस भूमण्डल पर नहीं हो सकता। मैं आपके पास सिर्फ ये आग्रह करने आया था। मुझसे शुरू-शुरू में सवाल किया साहब आप तो जज हैं, जज का क्या कार्य है भ्रूण हत्या के साथ। मैंने उन लोगों को कहा कि या तो आप कानून नहीं समझते हैं या आपने भारत का संविधान नहीं पढ़ा है। Legal Services Authority के अन्दर Parliament ने जो Act पास किया है, उसमें एक है Girl child की रखवाली करना। Girl child के ऊपर अगर कोई जुल्म होता है तो उसके बारे में Legal Services Authority को पूरा अधिकार है। अरे आप girl child की रखवाली की बात कर रहे हैं, girl child को आप पैदा ही नहीं होने देना चाहते। तो girl child को भ्रूण के अंदर मारने का मतलब 302 IPC से कम नहीं है। वो भी एक murder है। Unborn child को मारना सबसे बड़ा जघन्य कार्य है। हम लोग आप लोग बुडलाडा के, मानसा के, यहां पर Doctors बैठे हैं, Para-medical Staff के लोग बैठे हैं, Press के हमारे भाई बैठे हैं, जागरूक जन समाज बैठा है, बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं। क्या आज हम यहां पर मिलकर के संकल्प नहीं ले सकते कि

हमें पंजाब से हरियाणा से इस कुरीति को मिटाना है। सारी दुनिया के अन्दर जितने भी विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो England है, चाहे वो Denmark है, चाहे जापान है, कहीं पर भी लड़कियों की संख्या कम नहीं है। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता जो परमजीत जी ने यहां पर आपके सामने रखे। उन्होंने वो बिल्कुल सही कहा कि इसका कारण है दहेज की प्रथा, इसका कारण है social insecurity of the child, इसका कारण है समाज के नारी को तिरस्ता के साथ देखना। जब पूजा करते हैं तो दुर्गा की करते हैं, जब पूजा करते हैं तो भवानी की करते हैं, लक्ष्मी की करते हैं, सरस्वती की करते हैं और उसी लक्ष्मी, सरस्वती, भवानी को गर्भ के अंदर मार देते हैं। ये कहां का इंसाफ है। एक तरफ लड़कियों को कोख के अंदर मार रहे हैं। गुरू नानक जी ने गुरूबानी के अंदर जिसका जिक्र किया कि जो कोख राजाओं को जन्म देती है, उसको मार दिया। योगिराज कृष्ण ने गीता के चौदहवें अध्याय में क्या कहा। उन्होंने कहा हे अर्जुन, जिस कोख के अन्दर भी जो गर्भ स्थापित होता है वो ब्रहम अंश है, वो परमात्मा का अंश है और वो अंश सिर्फ एक स्त्री या पुरूष के रूप में नहीं, वो एक ब्रहम अंश आता है। तो जो लोग उस गर्भ के अन्दर लड़की की हत्या करते हैं वो ब्रहम अंश की हत्या करते हैं, वो भगवान की हत्या करते हैं तो moral दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से भ्रूण हत्या से बड़ा जघन्य अपराध नहीं है और पंजाब के बुडलाडा और मानसा के लोग एक तरफ लड़की को भ्रूण

के अंदर मार रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब की जो तरूणाई है वो drug की शिकार हो रही है। तो न लड़के रहेंगे, न लड़कियां रहेंगी। क्या होगा इस पंजाब का, कभी मन में विचार आया, कभी सोचा आपने इस बारे में। तो ये नशा उन्मूलन के लिए और भ्रूण हत्या के लिए हम तमाम लोग जो यहां पर अपने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज साहिबान इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आये क्योंकि इतवार का दिन है। ये कई बार सोचते होंगे कि हमारा चीफ जस्टिस अजीब है इतवार के दिन भी हमारे को साथ लेकर चलता है। पर इनके मन के अंदर भी उतना दर्द है जितना कि आपके है जो कि आप यहां पर इकटठे हुए हैं। हम लोग मिल करके यहां पर एक संकल्प करेंगे। मैं आपका आहवान करता हूँ कि यहां पर जाने के बाद इन्होंने जो कहा कि हमें 1% इसका असर हो तो अच्छा होगा, मैं समझता हूँ कि हर आदमी अपने आपको इस मुहिम के अंदर एक कार्यकर्ता नहीं बल्कि General की हैसियत से काम करेगा। आपने अपने बीच आने का मुझे मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।